उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने की तैयारी में प्रदेश सरकार

- उत्तर प्रदेश को ब्रांड यूपी के तौर पर विकसित करेगी सरकार
- वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए बदली छवि का होगा प्रचार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : योगी सरकार ने व्यापार में सुगमता, निवेश के अनुकूल माहौल, समयबद्ध स्वीकृतियां और सुरक्षित माहौल देकर बीते साढ़े पांच वर्ष में यूपी की जो छवि बदली है, अब उसको ब्रांडिंग की जाएगी। औद्योगिक निवेश और वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश को ब्रांड यूपी के तौर पर विकसित करने की तैयारी है। हाल ही में जारी की गई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार नीति का जोर भी इसी पर है।

प्रदेश सरकार विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, कार्यक्रमों और सम्मेलनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, साथ ही ऐसे कार्यक्रमों की मेजबानी भी करेगी। उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से फरवरी

2023 में ग्लोबल इंवेस्टर समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने ईज आफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदेश को अचीवर स्टेट के रूप में सम्मानित भी किया गया है।

ईज आफ डूइंग बिजनेस पर शासन का फोकस

प्रदेश में बिजनेस प्रारंभ करने के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए 17 से अधिक सेवाओं के स्वत: नवीनीकरण की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सात से अधिक लाइसेंस के नवीनीकरण की आवश्यकता को ईज आफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कार्यक्रम के अंतर्गत समाप्त किया गया है। प्रदेश में 100 से अधिक सरकारी सेवाओं को उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, जिसमें इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए समय-सीमा का निर्धारण किया गया है।

97% आवेदनों का निस्तारण

उत्तर प्रदेश के सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से 29 विभागों की 353 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सितंबर, 2022 तक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 18 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 97 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में व्यवसाय स्थापित व संचालित करने के लिए जरूरी नई सेवाओं को चिह्नित किया जाएगा। इसके लिए औद्योगिक घरानों, संगठनों व विभागों से परामर्श लिया जाएगा।

भयमुक्त औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करेगी सरकार

प्रदेश सरकार राज्य में सुरक्षित एवं भयमुक्त औद्योगिक वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर्स, पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर्स में पुलिस व अग्निशमन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने वाणिज्यिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रमुख जनपदों में 17 वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना को भी अधिसूचित किया है। इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा संपूर्ण न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को आनलाइन किया जाएगा।

नए सेक्टर को मिलेगा प्रोत्साहन : राज्यस्तरीय निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार नए सेक्टर को प्रोत्साहित करेगी। इंवेस्ट यूपी द्वारा निवेश प्रबंधन एवं निवेशक संवाद के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल विकसित होगा। इसे आनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र से भी जोड़ा जाएगा। यह सभी निवेशकों की समस्याओं के निवारण के लिए वन स्टाप सालूशन प्रदान करेगा। इंवेस्ट यूपी की वर्तमान हेल्पलाइन सेवा को और बेहतर किया जाएगा। मेगा एवं उच्च श्रेणी की परियोजनाओं की सुविधा को समर्पित नोडल अधिकारी नामित होंगे।